

विधानसभा अंतरांगिक प्रश्न क० 147 माननीय श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
कटनी मुडवारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण की गई सड़कों की जानकारी

क०	ग्राम (स्थान)	सड़क का नाम	स्वीकृत वर्ष	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य पूर्ण करने का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	टिकरिया	पहाडी रोड से टिकरिया तक जी.एस.बी.मार्ग एवं पुलिया निर्माण	2010-11	37.09	पूर्ण	02.03.2012
2	घुघरा कॉप	बिछिया से घुघरा कॉप	2010-11	41.22	पूर्ण	25.05.2013
3	मोहारी	पोडी मार्ग से मोहारी	2012-13	27.34	पूर्ण	29.03.2014
4	सुरकी पोडी	एन.एच. 78 से सुरकी पोडी	2012-13	31.07	पूर्ण	29.03.2014
5	जोबा	कछावां से जोबा	2012-13	58.00	पूर्ण	26.05.2014
6	मदनपुरा	पटवारा से मदनपुरा	2012-13	25.20	पूर्ण	29.03.2014
7	भरवारा	मझगवां से भरवारा मार्ग एवं पुलिया निर्माण	2015-16	47.63	पूर्ण	08.02.2017
8	चनेहटी	पन्ना रोड से चनेहटी मार्ग एवं पुलिया निर्माण	2015-16	22.00	पूर्ण	08.02.2017
9	खडौली	पन्ना रोड से अमराजांड से खडौली मार्ग एवं पुलिया निर्माण	2015-16	90.00	पूर्ण	08.02.2017

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 147 द्वारा
माननीय श्रीसंदीप श्रीप्रसाद जायसवाल
सडकों पर परफारमेंन्स गारंटी नियम का विवरण

"समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों (डामरीकृत मार्ग को छोड़कर) हेतु परफारमेंन्स एण्ड डिफेक्ट लायबिलिटी की गारंटी अवधि, कार्य की वास्तविक पूर्णता तिथि के पश्चात् 24 माह तक एक डामरीकृत मार्ग हेतु 36 माह तक रहेगी। गारंटी अवधि में ठेकेदार को देय राशि की, कुल 10 प्रतिशत राशि अंतिम भुगतान के पश्चात् रोक कर रखी जावेगी। इस हेतु सुरक्षा जमा के रूप में 5 प्रतिशत राशि के अतिरिक्त, डिफेक्ट लायबिलिटी के रूप में 5 प्रतिशत राशि, इस प्रकार कुल 10 प्रतिशत राशि, ठेकेदार के बिल से काटी जावेगी। यदि इस अवधि में निर्माण कार्य में किसी प्रकार का दोष उत्पन्न होता है, तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के व्यय से सुधार कार्य कराया जावेगा। ठेकेदारों को लिखित में सूचित करने के 15 दिवस के भीतर ठेकेदार द्वारा कार्य न कराये जाने पर, प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार को रिस्क एण्ड कॉस्ट पर, अन्य कर्मकारों द्वारा सुधार कार्य कराया जावेगा एवं सुधार कार्य पर किये गये व्यय की राशि (जिस बावत् प्रभारी अभियंता का प्रमाण पत्र अंतिम होगा) उपरोक्तानुसार ठेकेदार की जमा 10 प्रतिशत राशि में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में से समायोजित कर ली जावेगी। दो वर्ष के पश्चात् प्रभारी अभियंता के द्वारा निरीक्षण में निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषप्रद पाये जाने पर ठेकेदार से वसूली योग्य राशि के समायोजन पश्चात् शेष जमा राशि ठेकेदार को वापस की जावेगी। यदि सुधार कार्य के व्यय की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक रहती है तो अंतर की राशि उससे बकाया भू-राजस्व/नगद प्रतिभूति के रूप में वसूल की जावेगी।"